



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या 438 - काविनी एवं वे0प्र0-29 / पाकालि / 2019- 7- काविनी / 89 (टी0सी0) दिनांक 04 मई, 2019

कार्यालय ज्ञाप

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के आदेश सं0 WSU/44(2)/97/Administrative Charges/4570 dated 28-05-2018 द्वारा दिनांक 01.06.2018 से ई0पी0एफ0 के सामान्य प्रशासनिक व्ययों में कटौती के फलस्वरूप किये गये परिवर्तन उपरान्त उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप सं0 1058-कार्य/चौदह-पाकालि/2018-46के/2009 दिनांक 03.05.2018 एवं 253-काविनी एवं वे0प्र0-29/पाकालि/19-7-काविनी/89(टी.सी.) दिनांक 08.03.2019 में वर्णित तालिका में अंकित ई0पी0एफ0 @ 13.15% ऑफ D को संशोधित करते हुए ई0पी0एफ0 @ 13% ऑफ D दिनांक 01.06.2018 से किया जाता है।

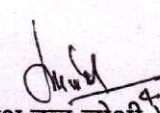
2. उपरोक्तानुसार दिनांक 01.06.2018 से 31.03.2019 तक संविदा कर्मियों के सम्बन्ध में 13.15% की दर से ई0पी0एफ0 का भुगतान किया जा चुका है, जिसे वित्तीय वर्ष 2019-20 में किये जाने वाले भुगतान से समायोजित किया जायेगा।

निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशासन)

सं0- - (I) काविनी एवं वे0प्र0-29/पाकालि/2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0/वितरण/वित्त/वाणिज्य), उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
4. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।


(कैलाश चन्द्र जोशी)
अनु सचिव (का0विनी0)

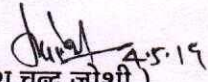
सं0-438-(II) काविनी एवं वे0प्र0-29/पाकालि/2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य अभियन्ता (ऊर्जा क्रय अनुबन्ध निदेशालय), उ0प्र0 पांकांलि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (कम्प्यूटर इकाई), उ0प्र0 पांकांलि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (सी0एम0यू0डी0), उ0प्र0 पांकांलि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा), उ0प्र0 पांकांलि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (रेस्पो), उ0प्र0 पांकांलि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (पी0एम0यू0), उ0प्र0 पांकांलि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पांकांलि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (नियोजन), उ0प्र0 पांकांलि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(क्रमशः..... 2)

9. मुख्य अभियन्ता (आर०ए०यू०), उ०प्र० पा०का०लि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. मुख्य अभियन्ता (जांच समिति-प्रथम/द्वितीय), उ०प्र० पा०का०लि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. मुख्य अभियन्ता (विद्युत आयात निर्यात एवं भुगतान मण्डल), उ०प्र० पा०का०लि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12. मुख्य अभियन्ता (पावर मैनेजमेन्ट सेल), उ०प्र० पा०का०लि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
13. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य-॥), उ०प्र० पा०का०लि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
14. मुख्य अभियन्ता (जानपद पारेषण-द्वितीय), उ०प्र० पा०का०लि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
15. महाप्रबन्धक (औ०स०), उ०प्र० पा०का०लि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
16. सहायक महाप्रबन्धक (संचालन), उ०प्र० पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि०, कैनाल रिंग रोड, लखनऊ को उनके पत्र सं० 1050/सैकनि/क्षे०का०लख०/पत्रा०अ० एवं प्र०नि०/उ०प्र०पा०का०लि०/वॉ-2/2018 दिनांक 15.01.2019 के सन्दर्भ में इस आशय से प्रेषित है कि वह अनुबन्ध के आधार पर योजित संविदा कार्मिकों के सम्बन्ध में वर्ष 2019-20 के भुगतान हेतु प्रेषित किये जाने वाले बीजकों में दिनांक 01-06-2018 से 31-03-2019 तक ई०पी०एफ० के मद में अधिक हुये भुगतान का समायोजन करते हुये बीजक प्रेषित करेंगे।
17. अधिशासी निदेशक (सौभाग्य), ग्रामीण विद्युतकरण एवं द्वितीय प्रणाली नियोजन संगठन, नवां तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
18. अधीक्षण अभियन्ता (सामग्री प्रबन्ध), उ०प्र० पा०का०लि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
19. समस्त संयुक्त सचिव, उ०प्र० पा०का०लि, शक्ति भवन, लखनऊ।
20. अधीक्षण अभियन्ता (ए०पी०डी०आर०पी० यूनिट), उ०प्र० पा०का०लि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
21. उप महाप्रबन्धक (लेखा एवं प्रशासन), उ०प्र० पा०का०लि, शक्ति भवन, लखनऊ।
22. अनु सचिव (स०प्र०-लेखा), उ०प्र० पा०का०लि, शक्ति भवन, लखनऊ।
23. उप सचिव (स०प्र०-11 अनुभाग), उ०प्र० पा०का०लि, शक्ति भवन, लखनऊ।
24. लेखाधिकारी (मुख्यालय) भुगतान, उ०प्र० पा०का०लि, शक्ति भवन, लखनऊ।


 (कैलाश चन्द्र जोशी)
 अनु सचिव (का०वि०नी०)